संख्या -83/2015/1341/एक-6-2015-15(13)/2014

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2015**

विषय: राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं 262.56 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103/एक-6-2015-15(13)/2014, दिनांक 20-10-2015 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद कार्यालय भवन का जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं 262.56 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने की धनराशि स्वीकृति की गयी है।

2- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20-10-2015 के पृष्ठांकन क्रमांक-10 में अंकित " अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-35, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद " को पृष्ठांकन सूची से एतदद्वारा हटाया जाता है। मूल शासनादेश में अंकित दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कृपया उपरोक्तनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1341(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।,

3- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ।

4- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।

7- अपर आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

8- निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।

9- निबन्धक, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद का भी दायित्व होगा कि वे निर्माण कार्यों पर पैनी दृष्टि रखे और यह देखे कि निर्माणदायी संस्था द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित मानको का पालन करते हुए प्रस्तावित विशिष्टियों/कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए समयान्तर्गत कार्य किया जा रहा है या नहीं। किसी भी रूप में विचलन की स्थिति होने पर उनके द्वारा उच्चाधिकारियों सहित शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5 ।

11- नियोजन अनुभाग-4

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.mic.in